न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम श्शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 169/2012

वादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र मोहन
2. गोदावरी बेवा मोहन
3. माणकराम पुत्र जीता

जातियान-बावरी,
निवासीगण-कावलियाखुर्द,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र भीकदान
2. सदुकंवर पुत्री भीकदान
3. मेघदान पुत्र करणीदान
4. मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप
5. कैलाशदान पुत्र रामप्रताप
6. किशनसिंह पुत्र रामप्रताप
7. सुखदेव पुत्र रामप्रताप
8. मोतीदान पुत्र जगतीदान
9. सत्यदेव पुत्र शुभकरण
10. किशनदान पुत्र शुभकरण
11. रतनदान पुत्र मदनदान
12. सज्जनसिहं पुत्र भैरुदान
13. ओमप्रकाश पुत्र भैरुदान
14. दशरथसिंह पुत्र भैरुदान
15. गुलाबसिंह पुत्र भैरुदान
16. राजेन्द्रसिंह पुत्र रिडमलदान
17. श्रेणीदान पुत्र रिडमलदान
18. चिरजीवसिंह पुत्र रिडमलदान
19. अणदुकंवर पुत्री पाबुदान

जातियान सभी-चारण,
निवासीगण-कावलियाखुर्द,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

20. थानकंवर के कायम मुकाम :-

20/1 जयसिंह पुत्र आवडदान
जाति-चारण, निवासी-कुपडावास
तहसील-बिलाडा, जिला-जोधपुर

21. सायर कवंर पुत्री पाबुदान
जाति-चारण, निवासी-कावलियाखुर्द
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

22. एस.बी.बी.जे. शाखा प्रबन्धक
आ-कालू, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.13.08.2012

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 4/11/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 576 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा0दो0 वाके हैं। जिसके वादी बतौर खरीददार के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि की जमाबंदी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह वादीगण की वंशावली अनुसार गूल पुरुष जीता (फौत) के वारिसान मोहन (फौत) व माणकराम हुए। मोहन (फौत) की पत्नि गोदावरी एवं पुत्र पेमाराम हैं। उपरोक्त वंशावली अनुसार वादी सं. एक पेमाराम जीताराम का पोता हैं। वादी सं0 2 गोदावरी का बडा पुत्र मोहन की पत्नी यानि जीता की पुत्र वधु हैं तथा वादी सं. तीन माणकराम जीता का जायन्दा पुत्र है। सभी वादीगण जीता के उतराधिकारी व वारीसान हैं। जीता वल्द शिवजी की तमाम चल व अचल संपति व वादग्रस्त कृषि भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी के काबिज है व काश्त करते हैं। वादी सं. 1 के दादा वादी सं. 2 के ससुर व वादी सं. तीन के पिता जीता वल्द शिवजी जाति-बावरी, निवासी-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों व परिवार के मुख्यान जोरदान जो प्रतिवादीगण रतनदान, सज्जनसिंह, ओमप्रकाश, दशरथसिंह, गुलाबसिंह, राजेन्द्रसिंह, श्रेणीदान, चिरजीवसिंह कमशः जोरदान के लडके भैरुदान रिडमलदान, मदनदान के जायन्दा के पुत्र हैं, के स्व. दादा जोरदान व प्रतिवादी मोहनसिंह कैलाशदान, किशनसिंह, सुखसिंह, के पिता रामप्रताप प्रतिवादी मेघदान के पिता करणीदान, गुमानकवंर के पिता करणीदान व अन्य प्रतिवादीगण के परिवार के मुख्या कर्ताखानदान की हैसियत से सभी प्रतिवादीगण शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि संवत 2019 आसाढ़ बदी 9 को यानि आज से करीब 50 वर्ष पूर्व वादग्रस्त कृषि खसरा नं. 576 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी सं. 1 के दादा, वादी सं0 2 के ससुर व वादी सं0 3 के पिता के 90/- रुपयें अक्षरे नब्बे रुपयें कीमत रोकड लेकर यह खेत जीता वल्द शिवजी जाति बावरी को बैचान किया व कब्जा सुपुर्द कर दिया, उक्त बेचान की लिखापढी जीता की बही में कर रखी हैं जिसमें जोरदान, रामप्रताप, करणीदान द्वारा बेचान पर बतौर विक्रेता के हस्ताक्षर किये व करणीदान रामप्रताप, जोरदान, जुगतीदान, पाबूदान, धनजी वगैरह ने बेचान नामा मंजूर कर तकमील करवाया तथा कब्जा जीता को सुपुर्द किया। उक्त बैचान की लिखापढी की फोटो प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। संवत 2019 से पिछले 50 वर्षो से लगातार वादग्रस्त भूमि पर जीता के जीवनकाल तक जीता का कब्जा रहा तथा जीता के देहान्त आज से 20 वर्ष पूर्व हो गया, जीता के देहान्त के पश्चात उनके उतराधिकारी वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। वर्तमान में वादीगण की उक्त भूमि पर कपास की फसल खडी है तथा वादीगण का कब्जा काश्त हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि की गिरदावरी संवत 2020 में जीताराम व उसके भाई चुनाराम का काश्त दर्ज हैं। उक्त गिरदावरी की प्रमाणित नकल वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण बतौर खरीददार के संवत 2019 से आज दिन तक खुले रुप से लगातार बिना किसी रोकटोक के बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा संवत 2019 में किये गये 90/- रुपयें के बेचान के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के नाम दर्ज नहीं किया व प्रतिवादीगण व उनके पिता, प्रपिता के नाम रेकर्ड में चलते रहे, जो एक रों एन्ट्री हैं। जबकि किसी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में पिछले 50 वर्षो से किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं हैं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से पिछले 50 वर्षो से आउट ऑफ पजेशन है। प्रतिवादीगण का वादीगण से कब्जा प्राप्त करने की 12 वर्ष की समयाधि समाप्त हो चुकी हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 64 के तहत 50 वर्षो से आउट ऑफ पजेशन होने से सभी अधिकार प्रतिवादीगण के समाप्त हो चुके है तथा वादीगण बतौर खरीददार के पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त होने से वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हो गये हैं। ऐसी घोषणा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी हैं। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण की कृषि भूमि जो जैतारण से मेडतासिटी सडक पर आयी हुई है। वर्तमान में जमीनों की कीमत बढने से व प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज दर्ज होने से प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान करने की एलानिया धमकी दिनांक 02/09/2012 को मौजा कावलियाखुर्द में दीं। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की कोशिश की तो वादीगा उन्हें ऐसी हरगीज करने नहीं देगें, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी भंवरसिंह पुत्र भीकसिंह द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि एस.बी.बी.जे. शाखा आ.कालु में रहन रखकर ऋण लिया हुआ हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से एस.बी.बी.जे. शाखा आ0कालू को प्रतिवादी सं. 22 बनाया गया हैं। बिनायदावा दिनांक 02/09/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि गलत इन्द्राज के आधार पर बेचान करने की धमकी देने व बेदखल करने की मंशा जाहिर करने पर बमुकाम-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायात अदालत बाला के हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील प्रति0 काउन्टर क्लेम प्रति0 संख्या 9 सत्यदेव व 10 किशनदान द्वारा एवं वादीगण व प्रति0 संख्या 1 से 8 एवं 11 से 21 का पेश किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि 576 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा0दो0 व खसरा नम्बर 563 रकबा 3-14 बीघा किस्म बा03अ0, सरहद मौजा-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण की कृषि भूमि प्रति0 संख्या 9 व 10 के पूर्वजों की व प्रति0 संख्या 1 से 8 व प्रति0 11 से 21 इनके पूर्वजों की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी व सैटलमेन्ट के पूर्व वि0सां0 1996 में जैतारण से गेड़ता जाने वाली ग्रेवल सड़क

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तात्कालिन जोधपुर राज द्वारा निर्मित की गई। इससे पूर्व दोनों खसरा नम्बर की भूमि एक चक व एक खेत था। जिसके बीच में से होकर जैतारण मेड़तासिटी रोड़ निकल जाने से सड़क को छोड़ कर सड़क के दोनों तरफ खसरा नम्बर 563 व 576 की भूमि के खेत दो टूंकड़ों में बंट गये व बीच में खसरा नम्बर 569 निकल गई। दोनों खसरा नम्बरान् की मौजूदा जमाबन्दी सतौनी 2066-69 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ पेश की हैं। खसरा नम्बर 563 व 576 में प्रति0 संख्या 9 व 10 का 1/2 हिस्सा था व प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 व इनके पूर्वजों का 1/2 हिस्सा था व सैटलमेन्ट व उक्त दोनों खसरा नम्बर की भूमि सभी के नाम खाते में दर्ज कर दी गई, जबकि सैटलमेन्ट के पश्चात् प्रति0 संख्या 9 व 10 व इनके पूर्वजों ने दोनों खसरा नम्बर जमीन का आपस में बंटवाड़ा कर लिया था व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में व हक हिस्से में कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 563 की भूमि रही। उक्त प्रति0 के पूर्वजों जोरदान, रामप्रताप, करणीदान में 2019 से 90 रू0 में वादीगण को बैच दी, जिस पर खसरा नम्बर 576 पर वादीगण काबिज हैं एवं प्रति0 संख्या 9 व 10 खसरा नम्बर 563 पर खातेदार काबिज हैं व खातेदार काश्तकार हैं। खसरा नम्बर 563 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व 11 से 21 का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। इनके नाम का इन्द्राज रोंग एन्ट्री हैं। जिसे हटाया जावें व सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म बा0अ0 प्रति0 संख्या 9 सत्यदेव व 10 किशनदान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व घोषित करवाने के प्रति0 संख्या 9 व 10 अधिकारी हैं व प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 के नाम खसरा नम्बर 563 में गलत इन्द्राज हैं, जिन्हें हटाया जावें। वादीगण के काउण्टर क्लेम 9 व 10 का इकबालिया जवाब पेश किया कि काउण्टर क्लेम अनुसार उक्त भूमि पर प्रति0 संख्या 9 व 10 काबिज हैं। जिसमें हम वादीगण का कोई हिस्सा व हक, कब्जा काश्त नहीं हैं। प्रति0 संख्या 9 व 10 द्वारा चाही गई ईश्तदुआ की डिक्री फरमावें। प्रति0 संख्या 8 व 16 की ओर से इकबालिया जबाबदावा पेश किया कि खसरा नम्बर 576 रकबा 4-3 बीघा भूमि पर वादीगण काबिज हैं। इश्तदुआ अनुसार डिक्री फरमावें। प्रतिवादी संख्या 22 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 8 व 16 की ओर से ईकबालिया जबाबदावा पेश किया हैं, जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कांवलिया में काउण्टर वाद के सभी तथ्यों को स्वीकार करते हैं। राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 ने भी वादीगण को खसरा नम्बर 576 रकबा 4-03 बीघा में सन् 1896 में इनके पूर्वजों द्वारा बेचान की गई, जिसमें वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की सहमति अर्थात् स्वीकारोक्ति दी हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने जाहिर किया हैं कि उक्त आराजी पर वादी 50 साल से काबिज हैं एवं प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 ने भी सहमति दी हैं। अतः वादी का वाद माफिक इश्तदुआ डिक्री फरमावें। वकील प्रति0 ने बहस में जाहिर किया कि माफिक काउण्टर क्लेम प्रति0 संख्या 9 व 10 के अनुसार वाद डिक्री फरमावें। पत्रावली व दस्तावेजात तथा काउण्टर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्लेम का गहनता से अध्ययन किया व बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा माफिक वाद इश्तदुआ एवं काउण्टर क्लेम में अंकित तथ्यों अनुसार वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 576 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा0दो0 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम से रोंग एन्ट्री चल रहा हैं। उसे हटाया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। खसरा नम्बर 563 रकबा 3-14 बीघा किस्म बा0अ0 में प्रति0 संख्या 9 सत्यदेव व 10 किशनदान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 के नाम गलत इन्द्राज रोंग एन्ट्री होने से हटाया जाता हैं। प्रति0 संख्या 9 व 10 के कब्जे काश्त में दखल करने से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व 11 से 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 4/11/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र मोहन
2. गोदावरी बेवा मोहन
3. माणकराम पुत्र जीता

जातियान-बावरी,

निवासीगण-कावलियाखुर्द,

तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र भीकदान
2. सदुकंवर पुत्री भीकदान
3. मेघदान पुत्र करणीदान
4. मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप
5. कैलाशदान पुत्र रामप्रताप
6. किशनसिंह पुत्र रामप्रताप
7. सुखदेव पुत्र रामप्रताप
8. मोतीदान पुत्र जगतीदान
9. सत्यदेव पुत्र शुभकरण
10. किशनदान पुत्र शुभकरण
11. रतनदान पुत्र मदनदान
12. सज्जनसिहं पुत्र भैरुदान
13. ओमप्रकाश पुत्र भैरुदान
14. दशरथसिंह पुत्र भैरुदान
15. गुलाबसिंह पुत्र भैरुदान
16. राजेन्द्रसिंह पुत्र रिडमलदान
17. श्रेणीदान पुत्र रिडमलदान
18. चिरजीवसिंह पुत्र रिडमलदान
19. अणदुकंवर पुत्री पाबुदान

    जातियान सभी-चारण,

    निवासीगण-कावलियाखुर्द,

    तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
20. थानकंवर के कायम मुकाम :-

    20/1 जयसिंह पुत्र आवडदान

    जाति-चारण, निवासी-कुपडावास

    तहसील-बिलाडा, जिला-जोधपुर
21. सागर कवंर पुत्री पाबुदान

    जाति-चारण, निवासी-कावलियाखुर्द

    तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
22. एस.बी.बी.जे. शाखा प्रबन्धक

    आ-कालू, तहसील-जैतारण

    जिला-पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:169/2012

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कावलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 576 रकबा 4-03 बीघा किस्म बा0दो0 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम से रोंग एन्ट्री चल रहा हैं। उसे हटाया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। खसरा नम्बर 563 रकबा 3-14 बीघा किस्म बा0अ0 में प्रति0 संख्या 9 सत्यदेव व 10 किशनदान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में प्रति0 संख्या 1 से 8 व 11 से 21 के नाम गलत इन्द्राज रोंग एन्ट्री होने से हटाया जाता हैं। प्रति0 संख्या 9 व 10 के कब्जे काश्त में दखल करने से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व 11 से 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/11/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	03	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	05	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	10	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्फरिक		
मिजानः-	17	-00	मिजानः-	03	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner